

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 344 /2022

उनवान

सुरजकरण पुत्र रामगोपाल ब्राह्मण निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- हंसराज पुत्र हरजी बलाई निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा
- 2- कालु पिता चजुर्मुज जाट निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा
- 3- केदार पुत्र धन्ना जाट निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा
- 4- बन्ना पुत्र धन्ना जाट निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा
- 5- ओमप्रकाश पिता कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा
- 6- गीता देवी पत्नी गणपतलाल ब्राह्मण निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा
- 7- राजेन्द्र कुमार पिता गणपतलाल ब्राह्मण निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा
- 8- राधेश्याम पिता कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा
- 9- साथरी देवी पत्नी कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी लसाड़िया तहसील शाहपुरा
- 10- मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 21.09.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम लसाड़िया पटवार हल्का लसाड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.28 है0, 1032 रकबा 0.15 है0, 1033 रकबा 0.15 है0, 1035 रकबा 0.37 है0, 1037 रकबा 0.05 है0, 1038 रकबा 0.06 है0, 1039 रकबा 0.27 है0, 1040 रकबा 0.16 है0, 1040/2530 रकबा 0.03 है0, 988 रकबा 0.05 है0, 996 रकबा 0.37 है0, 997 रकबा 0.22 है0 कुल कित्ता 12 रकबा 2.07 हैक्टेयर का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 4 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम लसाड़िया पटवार हल्का लसाड़िया संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लसाड़िया में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त सहखातेदारी की आराजीयात् कित्ता 12 रकबा 2.07 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 800/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा